पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 नवम्बर, 2016 ई0 (कार्तिक 14, 1938 शक सम्वत्) [संख्या–45

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	525–537	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	719–721	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1

कार्यालय–ज्ञाप

20 अक्टूबर, 2016 ई0

संख्या 2237(2)/XVI(1)/16–05(20)/2012–भारत सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना के तहत सचिव, भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के D.O.No. 34–MFPI/12–Mega FP, दिनांक 02 मई, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में जनपद ऊधमसिंह नगर के तहसील काशीपुर में "मेगा फूड पार्क (M.F.P.)" की स्वीकृति प्रदान की गयी है, इस परियोजना की कुल लागत ₹ 100 करोड़ अनुमोदित है। 'फूड पार्क' परियोजना का मुख्य उद्देश्य मूल्य संवर्धन को अधिकतम सुनिश्चित करने के लिये, किसानों व खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों, खुदरा विक्रेताओं को बाजार उपलब्ध कराने तथा कृषि उत्पादन से जुड़ने हेतु एक केन्द्र के रूप में विकसित करना है, जिससे राज्य के किसानों की आय में अग्रेत्तर वृद्धि तथा मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकेंगे।

2. सचिव, भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा परियोजना के तहत राज्य में स्थापित होने वाली मेगा फूड पार्क तथा खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु की गई संस्तुति के दृष्टिगत मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित विभागीय समिति की बैठक में लिये निर्णयानुसार, राज्य में प्रस्तावित "मेगा फूड पार्क" तथा उसके अन्तर्गत स्थापित होने वाली "खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों (food processing units) व उनकी सहबद्ध पैकेजिंग इकाईयों (Packing facilities as Ancillary to food processing industries) हेतु निम्नानुसार 'विशेष छूट' अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(क) मेगा फूड पार्क तथा इसके तहत स्थापित होने वाली इकाईयों के लिए प्रथम बार भूमि क्रय तथा लीज डीड पर 100% स्टैम्प ड्यूटी में छूट अनुमन्य की जायेगी।

(ख) उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से 05 वर्ष तक के लिए वैट पर 100% छूट अनुमन्य की जायेगी।

(ग) उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से कच्चे माल पर 05 वर्ष तक मण्डी शुल्क में 100% छूट अनुमन्य की जायेगी।

(घ) बैंक ऋण पर 06% की दर से (अधिकतम ₹ 04 लाख) प्रति वर्ष ब्याज अनुदान दिया जायेगा, जो 05 वर्ष तक के लिए अनुमन्य होगा।

(ङ) सी0एस0टी0 पर 05 वर्ष के लिए 100% छूट जो उत्पादन आरम्भ होने की तिथि से अनुमन्य होगा। वर्तमान में जी0एस0टी0 की वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं है, अतः इसके लागू होने पर, छूट हेतु तत्समय विचार किया जायेगा तथा यथासम्भव समतुल्य छूट दी जायेगी।

(च) राज्य में "उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग" द्वारा कृषि क्षेत्रों के अन्तर्गत सिंचाई हेतु नलकूप आदि के लिए निर्धारित, विद्युत टैरिफ (वर्तमान में ₹ 1.55 प्रति यूनिट की दर) के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों हेतु भी विद्युत टैरिफ, उत्पादन आरम्भ होने से 05 वर्ष तक के लिए अनुमन्य होगा तथा विद्युत आपूर्ति निर्बाधित रहेगी।

आज्ञा से,

डा0 रणवीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

आबकारी अनुभाग

अधिसूचना

17 अक्टूबर, 2016 ई0

संख्या 547/XXIII/2012/04(55)/2016–शासन की अधिसूचना संख्या 983/XXIII/2012/04(55)/2012, दिनांक 24.12.2012 एवं संख्या 14/XXIII/2012/04(55)/2012, दिनांक 21.01.2013 के द्वारा प्रख्यापित बॉटलिंग प्लॉन्ट की स्थापना से सम्बन्धित नीति में राज्य की भौगोलिक स्थिति के क्रम में बॉटलिंग प्लॉन्ट की स्थापना के दृष्टिगत उक्त सन्दर्भित अधिसूचना में स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम-3–पात्रता की शर्तों के उपनियम (iv), (v) एवं नियम–7 का उपनियम (v) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रखे जाने एवं नियम–3 में उपनियम (vi) को स्तम्भ–2 के अनुसार समावेशित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	वर्तमान नियम (स्तम्भ–1)	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम (स्तम्भ–2)
1.	नियम-3–पात्रता की शर्तें : (iv) आवेदनकर्ता आसवनी और उसके द्वारा नामित व्यक्ति/कम्पनी उत्तराखण्ड राज्य में किसी भी प्रकार के राजस्व का बकायेदार नहीं होना चाहिए। (v) आवेदक आसवनी या उसके द्वारा नामित व्यक्ति/कम्पनी लागू उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 आबकारी नियमों के तहत अनुज्ञापन हेतु विवर्जित नहीं होना चाहिए।	नियम-3–पात्रता की शर्तें : (iv) आवेदनकर्ता व्यक्ति/फर्म अथवा उसके साझेदार/कम्पनी अथवा उसके निदेशक उत्तराखण्ड राज्य में किसी भी प्रकार के राजस्व का बकायेदार नहीं होना चाहिए। (v) आवेदनकर्ता व्यक्ति/फर्म अथवा उसके साझेदार/कम्पनी अथवा उसके निदेशक, उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित) एवं आबकारी नियमों के तहत अनुज्ञापन हेतु विवर्जित नहीं होना चाहिए। (vi) आवेदनकर्ता व्यक्ति/फर्म अथवा उसके साझेदार/कम्पनी अथवा उसके निदेशक किसी व्यक्ति या कम्पनी के साथ अनुबन्ध कर अपने मदिरा ब्राण्डों की भराई हेतु सम्बन्धित व्यक्ति या कम्पनी के साथ साझेदारी में बॉटलिंग प्लॉन्ट स्थापना हेतु आवेदन कर सकती है। पात्रता की शर्तों में छूट : उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय जनपदों, पौड़ी गढ़वाल (कोटद्वार तहसील को छोड़कर), रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत (पूर्णागिरी तहसील को छोड़कर), देहरादून जनपद की पर्वतीय तहसील चकराता, कालसी एवं त्यूनी तथा जनपद नैनीताल की पर्वतीय तहसील नैनीताल, धारी, बेतालघाट तथा कोश्यांकुटोली में बॉटलिंग प्लॉन्ट स्थापित करने के लिए कोई भी आवेदनकर्ता व्यक्ति/फर्म अथवा उसके साझेदार/कम्पनी अथवा उसके निदेशक अपने ब्राण्डों की भराई हेतु आवेदन कर सकेगा। उपरोक्त जनपदों एवं तहसीलों में विदेशी मदिरा

क्र0 सं0	वर्तमान नियम (स्तम्भ–1)	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम (स्तम्भ–2)
		की भराई हेतु बॉटलिंग प्लॉन्ट स्थापित करने के लिए बॉटलिंग प्लॉन्ट स्थापना नियमावली, 2012 के नियम–3 के उपनियम (i), (ii),(iii) एवं नियम–7 के उपनियम (iii) के प्राविधान बाध्यकारी नहीं होंगे किन्तु उक्त के अतिरिक्त शेष प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।
2.	नियम–7 एफ0एल0एम0–03 अनुज्ञापन हेतु शुल्क का निर्धारण : उपनियम (V)–एफ0एल0एम0–03 अनुज्ञापी अपने अनुज्ञापन को ना बिक्री कर सकेगा, ना बंधक रखेगा, ना ही किसी के नाम स्थानान्तरित करेगा, ना ही किराये पर देगा और ना ही साझेदारी में रखेगा।	नियम–7 एफ0एल0एम0–03 अनुज्ञापन हेतु शुल्क का निर्धारण : उपनियम (V)–एफ0एल0एम0–03 अनुज्ञापी अपने अनुज्ञापन को ना बिक्री कर सकेगा, ना बंधक रखेगा, ना ही किसी के नाम स्थानान्तरित करेगा, ना ही किराये पर देगाः परन्तुक, प्रस्तावित संशोधन प्रख्यापित होने से पूर्व उपरोक्त पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित/प्रक्रियाधीन एफ0एल0एम0–02 अनुज्ञापनों पर भी उक्त संशोधन प्रभावी होंगे।

अतः अधिसूचना संख्या 983/XXIII/2012/04(55)/2012, दिनांक 24.12.2012 एवं संख्या 14/XXIII/2012/04(55)/2012, दिनांक 21.01.2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

आज्ञा से,

सी0 एस0 नपलच्याल,
सचिव।

सहकारिता एवं गन्ना चीनी अनुभाग–1

अधिसूचना

18 अक्टूबर, 2016 ई0

संख्या 294(1)/XIV–1/2016–9(6)2009–गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 195/14/1/XXI/2013 टीसी, दिनांक 04 अप्रैल, 2016 में दिये गये निर्देश के क्रम में अधिसूचना संख्या मा0 मंत्रिगण–10/XIV–1/2015–09(6)/2009, दिनांक 05 अक्टूबर, 2015 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद् में नामित उपसभापति श्री महेन्द्र सिंह लुण्ठी को उनके कार्यभार से मुक्त किया गया था, को तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद् के उपसभापति के पद पर पुनः नामित किया जाता है।

विजय कुमार ढौंडियाल,
सचिव।

आवास अनुभाग–1

आदेश

21 अक्टूबर, 2016 ई0

संख्या 492–V–2016–04(एन0वी0)02–उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, समूह 'क' एवं 'ख' सेवा नियमावली, 2015 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत श्रीमती शालू थिन्ड, सहायक नियोजक, को सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 6,600 के पद पर नियमित चयनोपरान्त अस्थाई रूप से पदोन्नत किया जाता है।

2. श्रीमती शालू थिन्ड, सहयुक्त नियोजक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष के लिए परिवीक्षाकाल में रहेंगी।

3. श्रीमती शालू थिन्ड, सहायक नियोजक को गढ़वाल नियोजन खण्ड, देहरादून में सहयुक्त नियोजक के पद पर तैनात किया जाता है।

आदेश

21 अक्टूबर, 2016 ई0

संख्या 492–V–2016–04(एन0वी0)02–उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, समूह 'क' एवं 'ख' सेवा नियमावली, 2015 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत श्रीमती गीता खुल्बे, सहयुक्त नियोजक, को वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 7,600 के पद पर नियमित चयनोपरान्त अस्थाई रूप से पदोन्नत किया जाता है।

2. श्रीमती गीता खुल्बे, वरिष्ठ नियोजक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष के लिए परिवीक्षाकाल में रहेंगी।

3. श्रीमती गीता खुल्बे, सहयुक्त नियोजक को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून में रिक्त वरिष्ठ नियोजक के पद पर तैनात किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त श्रीमती खुल्बे, उत्तराखण्ड एवं नगर विकास प्राधिकरण तथा मसूरी, देहरादून विकास प्राधिकरण में नगर नियोजक से सम्बन्धित कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगी, श्रीमती खुल्बे द्वारा कुमायूँ सम्भागीय नियोजन खण्ड के कार्यों को पर्यवेक्षण भी किया जायेगा।

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव।

ऊर्जा अनुभाग–01

अधिसूचना एवं प्रकीर्ण

20 अक्टूबर, 2016 ई0

संख्या 762/I/2016–02(01)/12/2004–श्री राज्यपाल महोदय, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 180 की उपधारा (2) के खण्ड (जी) के साथ पठित धारा 103 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्य विद्युत नियामक आयोग के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग निधि नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ व लागू होना

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग निधि नियम, 2016 है।

(2) ये नियम उत्तराखण्ड गजट में, इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएँ

2. इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "आयोग" से अधिनियम की धारा 82 के अधीन गठित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "आहरण और संवितरण अधिकारी" से आयोग की ओर से आहरण और भुगतान करने के लिए आयोग द्वारा इस रूप में अभिहित अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "निधि" से नियम 3 के अनुसार रखी जानी वाली उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग निधि अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "सदस्य" से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का सदस्य अभिप्रेत है;

(ज) "सचिव" से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का सचिव अभिप्रेत है;

(झ) इन नियमों में उपयोग किये गये शब्द और अभिव्यक्तियों, जो परिभाषित नहीं किये गये हैं, उनका वही अर्थ होगा जो विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) में उनके लिये नियत किया गया है।

निधि की स्थापना

3. (1) सरकार एक निधि की स्थापना करेगी जिसका नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग निधि होगा।

(2) निधि का मुख्य खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में और सहायक खाता किसी ऐसी अन्य बैंकों की शाखाओं में रखा जायेगा, जहाँ आयोग उपयुक्त समझें।

(3) आयोग उपर्युक्त बैंकों को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षर का नमूना उनकी सूचना व अभिलेख हेतु उपलब्ध करवायेगा।

निधि में योगदान

4. निधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:–

(1) अधिनियम की धारा 102 के अधीन सरकार द्वारा आयोग को दिये गये सभी अनुदान और ऋण।

(2) सभी लाइसेंस फीस, याचिका (पिटिशन) फीस, प्रकमण फीस, जुर्माने और अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा प्राप्तियाँ।

(3) अन्य सभी स्रोतों से आयोग द्वारा प्राप्त सभी राशियाँ, जो आयोग निर्धारित करे।

निधि का प्रचालन

5. (1) निधि का प्रचालन आयोग के अध्यक्ष या समय–समय पर आयोग द्वारा अभिहित ऐसा अधिकारी, जो निदेशक के पद से नीचे का न हो, के द्वारा किया जायेगा।

(2) अभिहित अधिकारी, आयोग की ओर से उचित लेन–देन, प्राप्तियों और भुगतान की मॉनिटरिंग हेतु उत्तरदायी होगा।

(3) अभिहित अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि प्रत्यायित बैंक में चैक और डिमांड ड्राफ्ट आयोग के खाते में समय पर जमा कर दिये गये हैं तथा उनके साथ प्राप्तियों और भुगतान का मिलान भी करेगा।

बजट

6. आयोग प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक अर्थात् वित्त वर्ष प्रारम्भ होने से 15 दिन पहले परिशिष्ट–1 में दिये गये प्रारूप पर आयोग द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और किये जाने वाले व्ययों के लिए बजट तैयार करेगा, इसे सरकार के पास प्रेषित करेगा।

निधि का उपयोग

7. (1) अधिनियम की धारा 103 की उपधारा (2) के खण्ड (ए) में उपबन्धित किये गये अनुसार आयोग को उसके अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य पारिश्रमिकों के भुगतान हेतु निधि के उपयोग करने का हक होगा।

(2) आयोग के उपरोक्त नियम 6 के अधीन, उसके द्वारा प्रस्तुत, वित्त वर्ष के लिए बजट के अनुरूप अधिनियम की धारा 86 के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक व्ययों को पूरा करने के लिए निधि का उपयोग करेगा। व्यय के शीर्षों का विवरण इन नियमों के साथ के परिशिष्ट में दिया गया है।

(3) किसी शीर्ष विशेष में अनुमोदित बजट से अधिक किसी व्यय के लिए बजट का पुनर्विनियोजन आयोग द्वारा, अनुमोदित बजट सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

(4) वित्त वर्ष समाप्त हो जाने पर आयोग विधिवत् संपरीक्षित लेखे सरकार के पास प्रस्तुत करेगा।

(5) निधि लेखा का प्रचालक, अध्यक्ष/आयोग की पूर्व सहमति से, निधि के अधिशेष पर उपयुक्त प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए निधि में उपलब्ध अधिशेष को समय–समय पर राष्ट्रीयकृत बैंकों में लघु अवधि या दीर्घावधि की लाभदायक जमाओं पर निवेश करेगा। बैंक कमीशन इत्यादि जैसे प्रासंगिक प्रभार निधि पर प्रभारित किये जायेंगे।

समय–समय पर धन के निवेश पर अर्जित आय निधि की प्राप्तियाँ होंगी।

लेखे

8. (1) निधि के लेखे ऐसे स्वरूप में रखे जायेंगे जैसे कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श कर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये।

(2) आयोग के लेखों को आयोग के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

लेखा परीक्षा

9. (1) आयोग के लेखों को, वित्त वर्ष समाप्त होने के पश्चात् छः माह के भीतर नियंत्रक व महालेखाकार परीक्षक (सीएजी) या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के पास भेजा जायेगा। लेखा के परीक्षा के सम्बन्ध में उपगत कोई व्यय आयोग द्वारा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को देय होगा।

(2) नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक और लेखा के परीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे, जो नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को सरकारी लेखों के संपरीक्षण के सम्बन्ध में प्राप्त हैं, विशेष रूप से उन्हें लेखा पुस्तिकाओं, लेखों, सम्बन्धित वाउचर्स व अन्य दस्तावेजों और पत्रों की माँग करने तथा आयोग के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(3) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त किसी व्यक्ति के द्वारा प्रमाणित आयोग के लेखे तथा उन पर लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष सरकार के पास भेजे जायेंगे ताकि सरकार लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर सके।

निधि का समापन

10. (1) निधि तब तक प्रचालित रहेगी, जब तक अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त रहेंगे।

(2) निधि के समापन के समय, जब निधि की कोई आवश्यकता न हो, निधि के समस्त अखर्चित अवशेष को सरकारी कोषागार में विप्रेषित कर दिया जायेगा।

परिशिष्ट–1

आय का बजटीय विवरण वर्ष ..... के लिए

अप्रैल ..... से मार्च ..... की अवधि हेतु

राशि हजार रुपये में

क्रम सं0	शीर्ष	लेखा शीर्ष	पिछले वर्ष की अनुमानित आय	फरवरी .....तक वास्तविक आय	मार्च..... में अनुमानित आय	वर्ष ..... के दौरान कुल अनुमानित आय	वर्ष..... में अनुमानित आय	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

व्यय का बजटीय विवरण ..... वर्ष के लिए

अप्रैल ..... से मार्च ..... की अवधि हेतु

राशि हजार रुपये में

क्रम सं0	शीर्ष	लेखा समूह	पिछले वर्ष में स्वीकृत राशि ₹	फरवरी .....तक हुआ वास्तविक व्यय	अनुमानित व्यय मार्च माह..... हेतु	वर्ष ..... के दौरान कुल अनुमानित व्यय	वर्ष..... में अनुमानित व्यय	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

..... वर्ष के लिए व्यय का *पुनरीक्षित बजटीय विवरण

अप्रैल ..... से मार्च ..... की अवधि हेतु

राशि हजार रुपये में

क्रम सं0	शीर्ष	लेखासमूह	वित्तीय वर्ष..... के बजट की पूर्व स्वीकृत राशि	..... तक की अवधि में हुए व्यय	.....तक होने वाले प्रस्तावित व्यय/ दायित्व	उपगत होने वाला कुल अनुमानित व्यय	बचत(+) या (–)	स्वीकृत बजट में पुनर्विनियोजन ..... + = जोड़े – = घटाये	.....वर्ष हेतु पुनरीक्षित अनुमानित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* पुनरीक्षित का अर्थ है, बजट का पुनर्विनियोजन, जो तब तैयार किया जायेगा जब अनुमोदित बजट की सीमा के भीतर अनुमोदित बजट के किसी विशेष शीर्ष में पुनर्विनियोजन की आवश्यकता हो।

अनुसूची

नियम–7(2) के अनुसार व्यय शीर्ष का विवरण–

1. वेतन और भत्ते :
   - 1.1 अध्यक्ष एवं सदस्यों, अधिकारियों और स्थापना/स्टॉफ के वेतन तथा भत्ते,
   - 1.2 मानदेय,
   - 1.3 ओवर टाईम भत्ते और प्रोत्साहन,
   - 1.4 चिकित्सीय और स्वास्थ्य सेवा सुविधाएँ,
   - 1.5 बोनस,
   - 1.6 कोई अन्य स्थापना प्रभार (विनिर्दिष्ट किया जाए)।
2. भविष्य निधि और अन्य अंशदान :
   - 2.1 पेंशन व ग्रेच्युटी (पेंशन के परिवर्तित मूल्य सहित),
   - 2.2 सी0पी0एफ0 का अंशदान,
   - 2.3 सी0पी0एस0 पर अंशदान,
   - 2.4 डिपोजिट लिंक्ड बीमा योजना,
   - 2.5 पेंशन अंशदान,
   - 2.6 छुट्टी वेतन अंशदान,
   - 2.7 ग्रेच्युटी अंशदान।
3. ब्याज :
   - 3.1 जी0पी0एफ0 पर ब्याज,
   - 3.2 सी0पी0एफ0 पर ब्याज,
   - 3.3 सी0पी0एस0 पर ब्याज
   - 3.4 कोई अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)।
4. समूह बीमा योजना :
   - 4.1 सी0जी0एफ0जी0आई0एस0–सेविंग्स फण्ड/बीमा फण्ड,
   - 4.2 सी0जी0ई0आई0एस0–सेविंग्स फण्ड/बीमा फण्ड।
5. वृत्तिक (प्रोफेशनल) व अन्य सेवाओं पर भुगतान :
6. यात्रा व्यय :
   - 6.1 घरेलू यात्राएँ–अध्यक्ष, सदस्य और अन्य अधिकारी, स्टॉफ,
   - 6.2 विदेशी यात्राएँ–अध्यक्ष, सदस्य और अन्य अधिकारी, स्टॉफ।

7. अन्य प्रशासनिक व्यय :
   - 7.1 टेलीफोन, फैक्स व इन्टरनेट,
   - 7.2 किराया, दर व कर,
   - 7.3 सुरक्षा सेवा प्रभार,
   - 7.4 समाचार–पत्र/पत्रिकाएँ इत्यादि,
   - 7.5 विज्ञापन और प्रचार,
   - 7.6 पोस्टेज/कूरियर/टेलिग्राम,
   - 7.7 पोशाक,
   - 7.8 जल एवं विद्युत,
   - 7.9 कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)।
8. स्टेशनरी और छपाई :
   - 8.1 स्टेशनरी,
   - 8.2 छपाई।
9. प्रकाशन
10. विविध व अन्य व्यय
11. मरम्मत और रख–रखाव :
   - 11.1 भवन,
   - 11.2 मशीनरी और उपकरण,
   - 11.3 फर्नीचर और साज–सज्जा,
   - 11.4 वाहन।
12. ईंधन और स्नेहक
13. आतिथ्य/मनोरंजन व्यय
14. संपरीक्षा फीस
15. कानूनी प्रभार
16. चंदा/सदस्यता
17. सेमिनार व कार्यशाला इत्यादि पर व्यय
18. ह्रास
19. उपभोक्ता सशक्तिकरण
20. आस्तियों की बिक्री पर हानि
21. अशोध्य ऋणों पर प्रतिफल
22. बकाया व्यय
23. व्ययों पर आय की अधिकता (पूँजी निधि लेखा को अंतरित)।

आज्ञा से,

ज्योति नीरज खैरवाल,

अपर सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 762/I/2016-02(01)/12/2004,** dated October 20, 2016 for general information :

NOTIFICATION
Miscellaneous
October 20, 2016

No. 762/I/2016-02(01)/12/2004--In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 103 read with clause (g) of sub-section (2) of section 180 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Governor's hereby makes the following rules with regard to establishment if the State Electricity Regulatory Commission Fund, namely :

The Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Fund Rules, 2016

1. (1) These rules shall be called the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Fund Rules, 2016. — Short title and commencement

   (2) They shall come into force from the date of their publication in the Uttarakhand Gazette.

2. In these rules, unless the context otherwise requires : — Definitions

   (a) "Act" mean the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

   (b) "Chairperson" mean the Chairperson of the Uttarakhand Electricity Regularity Commission;

   (c) "Commission" means the Uttarakhand Electricity Regularity Commission constituted under section 82 of the Act;

   (d) "Drawing and Disbursing Officer" means the officer designated as such by the Commission to draw and make payment on behalf of the Commission;

   (e) "Fund" means the Uttarakhand Electricity Regularity Commission Fund to be maintained as per Rule, 3;

   (f) "Government" means Government of Uttarakhand;

   (g) "Member" means the member of Uttarakhand Electricity Regularity Commission;

   (h) "Secretary" means the Secretary of Uttarakhand Electricity Regularity Commission;

   (i) The word and expression used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Electricity Act, 2003 (36 of 2003).

3. (1) The Government hereby established a Fund to be called Uttarakhand Electricity Regularity Commission Fund. — Establishment of Fund

   (2) The main account of the fund shall be maintained at any Nationalized and subsidiary accounts shall be maintained at such other branches of such banks, as the Commission considers appropriate.

   (3) The Commission shall make available the specimen signature of authorized signatories to the maintained bank for its information and records.

4. The fund shall comprise of the following :- — Contribution to the Fund

   (1) All grants and loans made to the Commission by the Government under section 102 of the Act.

   (2) All License fees, petition fees, processing fees, fines and receipts by the Commission under the Act.

   (3) All sums received by the Commission from such other sources, as may be decided upon by the Commission.

5. (1) The Fund shall be operated by the Chairperson or any Officer of the Commission not below the rank of the Director, as may be designated by the Chairperson from time to time. — Operation of the Fund

   (2) The designated officer shall be responsible for monitoring the proper transaction of the receipts and payment on behalf of the Commission.

   (3) The designated officer shall be responsible to ensure that the amount of cheques/demand draft deposited in the accredited banks have been timely credited in the account of the Commission and shall also reconcile the receipts and payments accounts with them.

Budget

6. The Commission shall prepare and forward to the Government the Budget for the estimated receipts and expenses to be incurred by the Commission in every financial year by 15th March of every year *i.e.* 15th days before the commencement of the year in the format as at Annexure-1.

Utillzation of the Fund

7. (1) The Commission shall be entitled to utilize the Fund for the payment of Salaries, allowances and other remuneration of the Chairperson, Members, Secretary, Officers and other employees of the Commission, as provided in the clause (a) of sub-section (2) of the section 103 of the Act.

(2) The Commission shall be entitled to utilize the Fund for meeting the expenses required in connection with discharge of its functions under section 86 of the Act in accordance with the Budget for the financial year-submitted by the Commission under Rule,6 above. The details of expenditure heads are given in Schedule appended to these rules.

(3) Any expenditure in excess of the approved budget in particular head shall be reappropriated by the Commission within overall ceiling of approved budget.

(4) After the end of financial Year, the Commission shall submit the duly audited accounts to the Government.

(5) The operator of Fund account with prior approval of the Chairperson shall invest Surplus Funds available in the fund from time to time in gainful short term or long term deposit in any nationalized banks in order to ensure suitable returns on surplus of fund. The incidental charges like Bank, commission etc. shall be accounted for as a charge on the fund.

The income earned on the investment of money from time to time shall be receipt of the fund.

Accounts

8. (1) The accounts of the Fund shall be maintained in such from as may be prescribed by the Government in consultation with Comptroller & Auditor General of India.

(2) The accounts of the Commission shall be authenticated by the Chairperson and the Secretary of the Commission.

Audit

9. (1) The accounts of the Commission shall be sent to Comptroller & Auditor General of India (CAG) or any other person appointed by him within six months of the closing of the financial year. Any expenditure incurred in connection with audit shall be payable by the Commission to the Comptroller & Auditor General of India and any others person appointed by him.

(2) The Comptroller and Auditor General of India and any other person appointed him in this connection with the audit of the accounts shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller & Auditor General of India has in connection with the audit of Government accounts and in particular shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Commission.

(3) The accounts of the Commission as certified by Comptroller & Auditor General of India or any other person appointed by him in this behalf together with audit report thereon shall be forwarded annually to the Government each year by the Commission to enable the Government to place the audit report before the Legislature as soon as may be.

Closure of the Fund

10. (1) The Fund shall remain operative so long as the relevant provision of the Act remain in force.

(2) At the time of closure of the Fund, when the fund is no longer required, all the unspent balance under the fund shall be remitted into the Government Treasury.

ANNEXURE--1

Budgetary Statement of Income for the Year.....,

for the period from April.....to March.....

Amount in thousand Rupees

Sl. No.	Head	Head of Account	Previous year estimated Income	Actual Income up to Feb.	Estimated Income in March.....	Total Estimated Income during the year.....	Estimated Income in the year.....	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Budgetary Statement of Expenditure for the Year.....,

for the period from April.....to March.....

Amount in thousand Rupees

Sl. No.	Head	A/C Group	Amount Sanctioned in previous year budget 200	Actual expenditure incurred up to Feb.	Estimated expenditure for the month of March.....	Total Estimated expenditure during the year.....	Estimated expenses for the year.....	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Revised *Budgetary Statement of Expenditure for the Year.....,

for the period from April.....to March.....

Amount in thousand Rupees

Sl. No.	Head	A/C Group	Amount already Sanctioned in Financial year budget	Expenditure incurred during ..... (upto .....)	Liabilities/ proposed expenditure to be incurred upto.....	Total estimated expenditure to be incurred	Saving (+) or (–)	Reappropreation in the sanctioned budget_-_+ =Add, - =Less	Revised estimated expenditure for the year .....
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* Revised means reappropriation of Budget which shall be prepared if reappropriation in particular head of approved Budget with in overall ceiling of approved budget is reuired.

By Order,

JYOTI NEERAJ KHAIRWAL,

Additional Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 45 हिन्दी गजट/559–भाग 1–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 नवम्बर, 2016 ई0 (कार्तिक 14, 1938 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

October 07, 2016

No. 261/UHC/XIV-a/40/Admin.A/2008--Ms.Deepali Sharma, Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar is hereby sanctioned medical leave for 06 days *w.e.f.* 23.09.2016 to 28.09.2016.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

October 07, 2016

No. 262/UHC/Admin.A/2016--Sri Dayaram, Civil Judge (Jr. Div.), Rudraprayag is given additional charge of the Court of Judicial Magistrate, Rudraprayag.

NOTIFICATION

October 07, 2016

No. 263/UHC/Admin.A/2016--Sri Ravi Ranjan, Judicial Magistrate, Rudraprayag is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Didihat, District Pithoragarh till Sri Ramesh Chandra, who is undergoing foundation training at UJALA, takes over charge after his training.

Sri Ravi Ranjan will also hold Camp Court at Dharchula, District Pithoragarh for three days in a month.

NOTIFICATION

October 07, 2016

No. 264/UHC/Admin.A/2016--Sri Ashok Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Karnprayag, District Chamoli is given additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Tharali, District Chamoli with the direction to hold Camp Court at Tharali for one week in a month.

NOTIFICATION

October 7th, 2016

No. 265/UHC/Admin.A/2016--Ms. Jayshree Rana, Civil Judge (Jr. Div.), Vikas Nagar, District Dehradun is given additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Chakrata, District Dehradun with the direction to hold Camp Court at Chakrata for two continuous days in every fortnight.

This order will come into force with immediate effect.

By Order of the Court,

Sd/-

NARENDER DUTT,

Registrar General.

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(फार्म–अनुभाग)
विज्ञप्ति

24 अक्टूबर, 2016 ई0

पत्रांक 4069/आयु0 कर उत्तरां0/फार्म–अनु0/2016–17/वाणिज्य कर/दे0दून–प्रान्त से प्रान्त में (अन्य प्रान्त से होकर) जाने वाले माल से सम्बन्धित बिलों पर प्रयुक्त होने वाले ओ0सी0 स्टैम्पस सीरीज "OCAAUK–2016 क्रमांक 000001 से 500000" तक इस कार्यालय की विज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से प्रचलन में आ जायेंगे। इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति द्वारा प्रचलन में लाये गये स्टैम्पस सीरीज OCAAUK–2012, क्रमांक 000001 से 2000000 तक भी प्रचलन में बने रहेंगे।

उक्त सीरीज OCAAUK–2016 क्रमांक 000001 से 500000 तक के सभी स्टैम्पस 60 GSM के क्रीमवेव पेपर पर मुद्रित कराये गये हैं तथा इन स्टैम्पस में नम्बरिंग बॉक्स के बॉर्डर लाइन में एक सिक्योरिटी फीचर्स "GOVERNMENT OF UTTARAKHAND" मुद्रित है, जो Magnifying glass का प्रयोग करने से दिखाई देता है।

इन स्टैम्पस की बैक ग्राउण्ड प्रिंटिंग हल्के गुलाबी रंग में की गयी है। स्टैम्पस पूर्व की भाँति दो प्रतियों में मुद्रित हैं तथा उनके ऊपर वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड लिखा गया है। स्टैम्पस के बीच में वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार का लोगो बना हुआ है। स्टैम्पस में हल्के काले रंग में नम्बरिंग डिजिटल प्रिंटिंग मशीन द्वारा की गयी है।

रणवीर सिंह चौहान,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

कार्यालय खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तराखण्ड
आदेश

14 अक्टूबर, 2016 ई0

संख्या FSSA/गुटका प्रतिषेध/12/2012/4178–जैसा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 26 सपठित धारा 92 की उपधारा (2) के खण्ड (झ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण द्वारा निर्मित खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अधीन "किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तम्बाकू और निकोटीन का उपयोग प्रतिबन्धित किया गया है।"

और, जैसा कि गुटका तथा पान मसाला खाद्य उत्पाद हैं, इन उत्पादों में तम्बाकू और निकोटिन का उपयोग संघटक के रूप में किया जा रहा है।

और, जैसा कि खाद्य उत्पादों में तम्बाकू तथा निकोटीन का बहुत ज्यादा संघटक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जिसे जन स्वास्थ्य के हित में गुटका तथा पान मसाला निषिद्ध किया जाना आवश्यक है।

और, जैसा कि खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत राज्य के किसी भाग या पूरे राज्य में एक वर्ष तक के लिए किसी भी खाद्य पदार्थों के निर्माण, भण्डारण, वितरण, बिक्री को पूरे राज्य में प्रतिबन्धित कर सकता है।

अतएव, अब खाद्य सुरक्षा तथा मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 का अनुसरण करते हुए तम्बाकू तथा निकोटिन युक्त गुटका, पान मसाला या अन्य खाद्य पदार्थ जो किसी भी नाम से बाजार में उपलब्ध हो, जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत् सम्पूर्ण राज्य में इस आदेश के निर्गत होने की तारीख से एक वर्ष तक की अवधि के लिए निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं बिक्री को प्रतिबन्धित करते हैं।

ओम प्रकाश,
खाद्य सुरक्षा आयुक्त।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 45 हिन्दी गजट/559–भाग 1–क–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।